FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0337 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/12/2025 09:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 18:14 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/12/2025 **Time (समय):** 09:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/12/2025 09:28:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 08 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA, RAJEEV GANDHI NAGAR, AYUKTALYA JODHPUR WEST

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** HEERA LAL
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOTU RAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	207, MAHAVEER PURAM, WARD NO.03 NANDANVAN, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	207, MAHAVEER PURAM, WARD NO.03 NANDANVAN, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAVISHYA KUMAR URF BHAVESH		पिता:TRIVEDI KUMAR	1. DEVASIYO KA BAS PAL GOAN,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	PREMNATH		पिता:BAHADUR NATH	1. BHOO KI DHANI BAIYA,FATHEGARH,JHINJHIN YALI,JAISALMER,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर विषयः- रिश्वत मांगने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय जी, मैं हीरालाल पंवार पुत्र श्री मोटूराम पवार जाति माली उम्र 54 वर्ष पेशा में मेडिकल स्टोर निवासी म. न. 207 महावीर पुरम वार्ड न. 3 चै हा वोर्ड जोधपुर का निवेदन है कि मैने गांव चौखा (नयापुरा) में एक कब्जा सुदा मकान श्री भबुतराम पुत्र अर्जुनराम विशनोई गांव रोहिचाकला त. लुनी जिला जोधपुर से दिनांक 15 जनवरी 2025 से किराये पर ले रखा है। उक्त मकान कब्जे का होने के कारण श्री भबुतराम व सागर गेहलोत के बीच विवाद चल रहा है। तथा पुलिस थाना राजीव गाधी में भबुतराम के विरूद्ध म.न. 89/25 दर्ज कराया गया है। उक्त मुकदमे मे मेरे पुत्र सी.पी. पवार का नाम भी लिखवा रखा है। जो मेरे किराये के मकान पर लिखे मो. न. के आधार पर सिम धारक के रूप में मेरे पुत्र चन्द्र प्रकाश का नाम होने के कारण लिखा गया है। जबकी इस मुकदमें से मेरा व मेरे पुत्र का कोई लेना देना नहीं है। हम मकान के किराये पर है। दिनांक 15/12/2025 को श्री प्रेमनाथ थानेदार ने अपने मो. न. से मेरे मो. न. पर फोन कर मुझे थाने बुलाया तथा मुकदमें मेरे पुत्र चन्द्र प्रकाश नाम होना तथा उक्त विवादित मकान में निवास करने व सागर गेहलोत को धमकाने का आरोप लगाकर मेरा भी नाम मुकदमे में डाल कर गिरफ्तार करने की धमकी देकर मुकदमें से नाम हटाने की ऐवज में श्री प्रेमनाथ के द्वारा 50000 रू रिश्वत की मांग की तथा पास बैठे श्री भावेश कानि को कहा कि आप इनसे बात करलो यदि पैसे देते है तो मुलजिम नही रखेगे नही तो डी. सी.पी. साहब के आदेश है। इन्हे जेल जाना पड़ेगा फिर भावेश मुझे एक तरफ ले गया और उसने भी प्रेमनाथ के लिए 50000 रू. देने की बात कही मेरे द्वारा राशि ज्यादा होने की बात कहकर राशि कम करने की विनती करने पर भावेश ने अपने स्वय के लिए व थानेदार प्रेमनाथ के लिए 30000 रू. रिश्वत के लेने के लिए तैयार हुआ मै मेरे जायज काम के ऐवज में थानेदार प्रेमनाथ व कानि भावेश को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुए रंगो हाथों पकड़वाकर कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हुँ मेरी कानि भावेश व प्रेमनाथ थानेदार से कोई दुसमणी या लेन देन बकाया नहीं है। कानुनी कार्यवाही करावे दिनांक 17/12/2025 भवदीय एस.डी. हीरालाल हीरालाल पुत्र श्री मोटूराम जाती माली उम्र 54 वर्ष निवासी मकान न.207 महावीर पुरम वार्ड नं. 3 चै. हा. बोर्ड जोधपुर मों. नं. एस.डी. मो. रफीक 18/12/2025 एस.डी. जगदीश नारायण व्यास 18/12/2025 एस.डी. मनीश चैधरी कार्यवाही पुलिस दिनांक 17.12.2025 वक्त 12-10 पी.एम. वक्त 12.10 पीएम पर परिवादी हीरालाल पंवार पुत्र श्री मोटूराम पवार जाति माली उम्र 54 वर्ष पेशा मेडिकल स्टोर निवासी मकान नंबर 207 महावीर पूरम वार्ड नंबर 3 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित होकर मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपरोक्त तथ्यों की एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड स्वप्रमाणित फोटो प्रति एवं शिकायत से संबंधित पुलिस थाना राजीव गांधी में दर्ज प्रकरण संख्या 89/2025 के प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति पेश की एवं दरियाफत पर बताया कि शिकायत में अंकित समस्त तथ्य सही है जो मैनें मेरी हिन्दी लिखावट कमजोर होने के कारण मैनें मेरे पुत्र से उक्त शिकायत बोल-बोल कर लिखवाकर लाया हूं। शिकायत में अंकित समस्त तथ्य सही है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। साथ ही परिवादी श्री हीरालाल ने बताया कि श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस बहुत ही शातिर व भ्रष्ट अधिकारी है जो रिशवत राशि सीधे नहीं लेकर श्री भावेश कानि. के मार्फत ही लेता है तथा कानि. भावेश मेरे से मिलेगा तो कुछ राशि देने पर ही मेरे से वार्ता करेगा। जिस पर परिवादी के उनके पास राशि उपलब्ध होने के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी 5000 रूपये उपलब्ध है। जिस पर परिवादी के पास उपलब्ध राशि 5000 रूपये के नोटों की फोटो प्रति करवाकर शामिल रनिंग नोट की तथा राशि पुनः परिवादी को संदिग्ध कर्मचारी को देने हेतु सुपुर्द की गई। परिवादी ने बताया कि श्री भावेश कानि. ने श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के कहेनुसार पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में दर्ज मुकदमा नम्बर 89/2025 में से मेरे पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश का नाम हटाने एवं मेरा नाम नहीं जोड़ने की एवज में अपने स्वयं व श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के लिए 30,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग रहा है। परिवादी की रिपोर्ट एवं दरियाफ्त पर बताये तथ्यों से मामला प्रथम द्रष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया गया। श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी जोधपुर का अतिरिक्त चार्ज होने के कारण एसीबी चौकी जोधपुर में

उपस्थित होने के कारण मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट एवं उनके द्वारा दरियाफ्त पर बताये समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन निवेदन किये गये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर अग्रीम कार्यवाही करने के आवशायक दिशा-निर्देश दिये गये। जिस पर रिशवत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया कि मैनें मेरे स्तर पर श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस व श्री भावेश कानि. की उपस्थिति के बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि दोनों ही अधिकारी थाने से बाहर है तथा शाम 05 बजे के बाद थाने में उपस्थित आयेगे जिस पर परिवादी को कार्यालय में ही गोपनीय रूप से मुकिम रखा। तत्पश्चात मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गणेश कुमार कानि नं. 219 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर, बुलाने के मंतव्य से एवं परिवादी की रिपोर्ट से अवगत करवाया गया एवं कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी हीरालाल का श्री गणेश कुमार कानि. से आपसी परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकार्डर को बाहर निकलवाकर संचालन की विधि श्री गणेश कुमार कानि. व परिवादी हीरालाल को समझाईस की गई एवं डिजिटल वाइस रिकार्डर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर, मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिशिचित किया गया। तत्पश्चात वक्त 04.19 पी.एम. मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हीरालाल के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध कर्मचारी श्री भावेश कानि. के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री हीरालाल के मोबाईल फोन का स्पीकर आन करवाकर संदिग्ध कर्मचारी व अधिकारी की उपस्थित जानने हेतु वार्ता करवाई तो संदिग्ध कर्मचारी ने अपने आपको एमडीएम हास्पीटल में होना बताया तथा आधे घण्टे बाद थाने में उपस्थित होने की बात बताई उक्त वार्ता को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गणेश कुमार कानि. से कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई। तत्पश्चत मन निरीक्षक पुलिस द्वारा वक्त 04.30 पी.एम. श्री गणेश कुमार कानि. को कार्यालय के डीवीआर मय मैमारी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री हीरालाल के साथ उनके निजी वाहन से संदिग्ध कर्मचारी/अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु आवशयक हिदायत के साथ पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पशचात वक्त 06.30 पी.एम. पर श्री गणेश कुमार कानि. हमरा परिवादी श्री हीरालाल के ब्यूरो कार्यालय में मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व में दिया गया डीवीआर मय मैमोरी कार्ड स्वीचआफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी श्री हीरालाल ने बताया कि मैं व श्री गणेश कुमार कानि. यहां से मेरे निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना राजीव गांधी नगर से थोड़ा पहले पहुचें जहां पर मैनें मेरे स्तर पर संदिग्ध कर्मचारी श्री भावेश कानि. की उपस्थित ज्ञात की तो भावेश का पुलिस थाने में उपस्थित होना ज्ञात हुआ जिस पर श्री गणेश कुमार कानि. ने मुझे आवशयक हिदायत देकर साथ लाये कार्यालय का डीवीआर आन कर मुझे सुपुर्द किया। ताबाद मैं गणेश कुमार कानि. को वहीं छोड़कर पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने पहुचां तथा भावेश कानि. को फोन कर बाहर बुलाया कुछ समय पशचात श्री भावेश कानि. बाहर आकर मेरे वाहन में मेरे साथ बैठा तथा मुझे चौखा चलने का कहा जिस पर हम दोनों मेरे वाहन से चौखा के लिए रवाना हुए। वाहन में ही मैनें मेरे काम के बारे में श्री भावेश कानि. से वार्ता करने पर श्री भावेश कानि. ने श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस से मेरे पुत्र नाम मुकदमें से हटाने एवं मेरा नाम नहीं जोड़ने की एवज में 30,000 रूपये की मांग की तथा मेरे द्वारा विनती करने पर 25,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ तथा राशि आज ही मांगने पर मेरे द्वारा मेरे पास 5000 रूपये ही होने की बात कहने पर उन्होने ईशारे में राशि देने का कहा जिस पर मैनें 5000 रूपये गिनकर श्री भावेश कानि. को दिये तथा ईशारे से ही 1000 रूपये शराब के मांगने पर 1000 रूपये मैनें अलग से श्री भावेश कानि. को दिये तथा मेरे कहने पर श्री भावेश कानि. ने अपने मोबाईल से संदिग्ध अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस से वार्ता कर, मेरे पुत्र का नाम मुदकमें से निकालने एवं राशि पूर्व में तय की गई में यह काम भी शामिल होने का कहने पर उनके द्वारा हां कहते हुए मुकदमा नम्बर 89 बताया गया। जिस पर डीवीआर आन करके मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री हीरालाल के बातये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर आरोपी कर्मचारी श्री भावेश कानि. व आरोपी अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। चूंकि मांगी गई राशि कल दिनांक 18.12.2025 को देना तय हुई है इसलिए अग्रीम ट्रैप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री हीरालाल को आरोपीगण को दी जाने वाली पेश रिश्वत राशि 20,000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 18.12.2025 को ब्यूरो कार्यालय में 09.30 ए. एम. पर उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय के डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षा की द्रष्टि से अपने पास अलमारी में सुरिक्षत रखकर अलमारी को लोक किया गया। दिनांक 18.12.2025 वक्त 09.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री हीरालाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000 रूपये साथ लेकर आया हूं। जिस पर अग्रीम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवशयकता होने के कारण अधिषाशी अभियंता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम एक तेहरीर जारी कर श्री कालूराम कानि. 246 को दो कार्मिक लाने हेतु सुपुर्द कर रवाना किया गया। जो कुछ समय बाद अपने साथ दो कार्मिक सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से साथ लेकर उपस्थित आया। कानि. के साथ आये दोनों कार्मिकों को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होनें

बारी-बारी अपना परिचय जगदीश नारायण व्यास पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण आयु 54 साल पेशा नौकरी निवासी चैपासनी गांव नियर मरूगढ़ जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर तथा दूसरे ने मोहम्मद रफीक पुत्र श्री अमीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 54 वर्ष पेशा नौकरी निवासी प्लाट नम्बर 301 बरकतुल्ला खां कालोनी आखलिया चैराहा जोधपुर हाल इलेक्ट्रीक हैल्पर कार्यालय सहायक अभियंता विधुत उपखण्ड प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया गया। जिस पर दोनों कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। तत्पशचात पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री हीरालाल का उपस्थित आये दोनों कार्मिकों का आपस मे परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनाक 17.12.2025 को प्रस्तुत शिकायत को पढ़ाई गई एवं परिवादी एवं संदिग्ध कर्मचारी व अधिकारी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 17.12.2025 को हुई रूबरू वार्ता, जो ब्यूरो कार्यालय के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड गई थी। उक्त डीवीआर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अलमारी में रखा गया को बाहर निकालकर कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को पढ़कर, रिकार्ड वार्ता को सुनकर व तसल्ली से परिवादी से पूछताछ कर ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात वक्त 12.40 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान श्री जगदीश नारायण व्यास, श्री मोहम्मद रफीक एवं परिवादी श्री हीरालाल की उपस्थिति में मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यालय के श्री गणेश कुमार कानि. 219 से परिवादी श्री हीरालाल व संदिग्ध कर्मचारी श्री भावेश कुमार कानि. तथा अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनाक 17.12.2025 को हुई रूबरू एवं टेलीफोनिक वार्ता जो ब्यूरो कार्यालय के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है को कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिशवत राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। वार्ता में एक आवाज परिवादी स्वयं की तथा दूसरी की आवाज आरोपी श्री भावेश कानि. व वार्ता के निरन्तरता में हुई टेलीफोनिक वार्ता में एक आवाज संदिग्ध कर्मचारी श्री भावेश कानि. दूसरी आवाज संदिग्ध अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस की होने की पहचान की। तत्पशचात उक्त मूल मैमोरी कार्ड से कम्प्यूटर के माध्यम से तीन पेन ड्राईव तैयार करवाये जाकर मूल मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में डालकर, मैमोरी कार्ड कवर सहित एक कपडे० की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया एवं दोनों पेन ड्राईव को खुली हालात में रखे गये। तत्पश्चात मूल मैमारी कार्ड शिल्ड शुदा कपड़े की थैली के पैकेट एवं दोनों पेन ड्राईव को खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 04.15 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री हीरालाल पुत्र श्री मोटूराम जाति माली उम्र 54 वर्ष निवासी मकान नम्बर 207 महावीर पुरम वार्ड नम्बर 3 नदनवन जोधपुर द्वारा आरोपी श्री भावेश कानि. पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर एवं श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस को दी जाने वाली रिशवत राशि मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री हीरालाल ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट, कुल राशि 20,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री हीरालाल द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 केपी 290153, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 एआर 132597, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 इसी 486936, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 इयु 588095, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एसऍफ़ 910195, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 ऍफ़बी 951527, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 एचएच 913813, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 सीबी 175717, 500 रूपये का एक नोट नम्बर7 डीएल 918721, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 सीआर 838966, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 टीएन 808565, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 पीबी 913390, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 आरटी 141843, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एसके 726125, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 जीआर 346646, 500रूपये का एक नोट नम्बर 3 एम् डब्ल्यू 124226, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एसी 844875, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 डब्ल्यू एम् 811039, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 आरइ 972345, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 एम् आर 362279, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 सीजी 657853, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 क्यु एस 969363, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 जीके 320351, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 पीपी 002688, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 एक्यू 639914, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 आरटी 108050, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 डब्ल्यू एस 417801, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 टीवी 564585, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 आर एच 466207, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 ऍफ़सी 752469, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 केजी 124045, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 के क्यू 032647, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 ए डब्ल्यु 671265, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 सीवी 773975, एक नोट नम्बर 6 एएल 000730, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 एच बी 755837, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 डिएम 257938, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 पीजी 248212, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एचवी 070097, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 बीएफ 203208 श्री देवाराम कानि. 373 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 20,000/-रूपये के नोटो को श्री देवाराम कानि. 373 को सुपुर्द कर उक्त नोटों को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया।

परिवादी श्री हीरालाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से लिरवाई जाकर मोबाईल फोन एवं परिवादी के निजी वाहन की चाबी को उनके पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि परिवादी के पास नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 20,000/-रूपये जो श्री भावेश कानि. एवं अन्य को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री हीरालाल के पहनी हुई जिन्स की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये को श्री देवाराम कानि. 373 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हीरालाल को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि को रास्ते में छुए नहीं तथा आरोपी द्वारा रिशवत राशि मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि जिन्स की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। राशि का आदान-प्रदान हो जाने के पश्चात पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नंबर   पर मिस काल या काल कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक नये प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री देवाराम कानि. के बायें हाथ के अगूठे एवं अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्री देवाराम कानि. 373 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास एव जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार एव प्लास्टिक की गिलास को श्री देवाराम कानि. 373 से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्री देवाराम कानि. 373 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री हीरालाल को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं मोबाईल फोन को पास में रहने दिया गया। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वत राशि एवं दृष्टांत फिनोथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर तैयार की जाकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 05.00 पी.एम. पर मन मनीष चौधरी, निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों आरोपीगण श्री भावेश कुमार कानि. व श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस की ब्यूरो मुख्यालय से लोकेशन ज्ञात की गई तो दोनों कर्मचारी व अधिकारी की लोकेशन पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के आस-पास होना पाई गई। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक, श्री मोहम्मद रफीक इलेक्ट्रीक हैल्पर परिवादी श्री हीरालाल एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि., नम्बर 67, श्री गणेश कुमार कानि. 219, श्री कालूराम कानि. 246, श्री प्रकाश कानि. 265 सरकारी वाहन चालक कानि. श्री प्रेमसिंह तथा परिवादी के निजी वाहन एवं श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस के निजी वाहन से तथा ट्रैप बाक्स, ट्रैप सामग्री, कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर, डीवीआर मय मैमोरी कार्ड तथा परिवादी की शिकायत मय दस्तावेज को साथ लेकर ट्रैप कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी एसीबी एसयू जोधपुर से पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर के लिए रवाना हुआ। साथ ही श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते कार्यवाही सुपरविजन पुलिस थाना राजीव गांधी नगर की तरफ रवाना होकर वक्त 05.25 पी.एम. पर होटल मरूगढ़ पैलेस के पास चौपासनी हाउंसिग बोर्ड जोधपुर पहुचां, जहां पर वाहनों को एक तरफ गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों आरोपीगण की पुनः ब्यूरो मुख्यालय के मार्फत लोकेशन ज्ञात की गई तो संदिग्ध कर्मचारी श्री भावेश कुमार कानि. की लोकेशन पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के पास आई तथा संदिग्ध अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस की लोकेशन पुलिस थाना राजीव गांधी नगर से कुछ दूरी पर आई। जिस पर जरिये फोन हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये जिस पर उन्होनें निर्देश दिये गये कि जरिये फोन कानि. श्री भावेश से उनकी उपस्थिति ज्ञात कर अग्रीम कार्यवाही करें। जिस पर वहीं पर गोपनीय रूप से मुकिम रहें। वक्त 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री हीरालाल के मोबाईल नम्बर   से संदिग्ध कर्मचारी श्री भावेश कानि. के मोबाईल नम्बर   पर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर आन करवाकर संदिग्ध कर्मचारी व अधिकारी की उपस्थित जानने हेतु वार्ता करवाई तो संदिग्ध कर्मचारी ने अपने आपको पुलिस थाने राजीव गांधी नगर में होना बताया व परिवादी को कहा कि आप थाने ही आ जाओ। उक्त वार्ता को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गणेश कुमार कानि. से कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई। तत्पश्चात समस्त हालात अतिरिक्त पुलिस को निवेदन कर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर

कार्यवाही से साथ लाये डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वीचआन कर परिवादी श्री हीरालाल को सुपुर्द कर आरोपीगण से रिश्वत राशि लेने-देन के लिए रवाना किया गया एवं मन निरीक्षक पुलिस हमरा मौतबिरान एवं समस्त जाब्ता के सरकारी व निजी वाहन से पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 05.40 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के पास पहुचें, वाहनों को गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर गाड़ियों में बैठकर परिवादी के गोपनीय इशारे में व्यस्त हुए तथा साथ ही श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 व श्री कालूराम कानि. नम्बर 246 को परिवादी के वाहन जो पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के मुख्य द्वार के पास ही रोड़ पर खड़ा था के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़े रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इंतजार करने के लिए आवश्यक हिदायत के साथ रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 0614 पी.एम. पर रूबरू मौतबिरान के परिवादी श्री हीरालाल पुत्र श्री मोटूराम जाति माली उम्र 54 वर्ष निवासी मकान नम्बर 207 महावीर पुरम वार्ड नम्बर 3 नदनवन जोधपुर ने पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर के सामने मुख्य सड़क पर अपनी गाड़ी नम्बर आर जे 19 सीएन 3266 के अन्दर बैठे-बैठे ही पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपनी गाड़ी का पार्किंग लाईट जलाकर किया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ते एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी श्री हीरालाल की गाड़ी के पास पहुचां। परिवादी की गाड़ी की ड्राईविंग सीट के पास वाली आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति ब्यूरो टीम को देखकर गाड़ी की फाटक को खोलकर मन निरीक्षक पुलिस को धक्का देकर भागने लगा तभी ब्यूरो जाब्ते की मदद से भागते हुए व्यक्ति को पकड़कर रोककर मन निरीक्षक पुलिस के पास लेकर आये जिसको मन निरीक्षक पुलिस द्वारा जाब्ते की मदद से पुनः गाड़ी में बिठाया गया तथा परिवादी श्री हीरालाल को पूर्व में दिया गया ब्यूरो का डीवीआर को प्राप्त कर स्वीच आफ कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस व दोनों गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर दस्तयाब किये हुए व्यक्ति को उनका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम भविष्य कुमार उर्फ भावेश पुत्र श्री त्रिवेदी कुमार उम्र 36 वर्ष जाति ढोली पेशा नौकरी निवासी बड़ी छतरी के पास देवासियों का बास पाल गांव जिला जोधपुर हाल कानि. नम्बर 135 पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर होना बताया। उक्त गाड़ी खड़ी स्थान मुख्य सड़क होकर पुलिस थाना के सामने का होने एवं थाने के मुख्य द्वार पर पुलिस मुलाजमान खड़े होने के कारण दस्तयाब शुदा मुल्जिम को हमरा लेकर पुलिस थाने से चौखा रोड़ पर करीब 400 मीटर गाड़ी को एक तरफ खड़ा करवाकर गया। परिवादी ने दस्तयाब शुदा आरोपी की तरफ ईशारा कर मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री भावेश कुमार उर्फ भविष्य कुमार है जिन्होनें अभी-अभी मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे पुत्र चन्द्र प्रकाश पंवार का मुकदमा संख्या 89/2025 पुलिस थाना राजीव गांधी नगर से नाम हटाने एवं मेरा नाम नहीं जोड़ने की एवज में अपने स्वयं के लिए एवं श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के लिए 20,000 रूपये मांगकर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई कमीज की उपर की बांयी जेब में रखे है जिस पर आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. से रूबरू गवाहान परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते है तथा इनसे अभी कोई राशि प्राप्त की है तथा राशि प्राप्त की है तो किस काम की एवज में व किसके लिए प्राप्त की है जिस पर आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. ने घबराते हुए कहा कि मैं इन्हें जानता हूं यह श्री हीरालाल जी है जो मुझे फोन करके अपनी गाड़ी में बुलाया तथा अपने काम के बारे में वार्ता कर इनके पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश पंवार के विरूद्ध हमारे थाने में प्रकरण संख्या 89/2025 दर्ज होकर अनुसंधान श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना राजीव गांधी नगर कर रहे जिन्होंने इनके पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश पंवार का नाम मुकदमें से हटाने एवं इनका नाम नहीं जोड़ने के लिए मुझे अभी 20,000 रूपये श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के लिए दिये है, उक्त राशि में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। जिस पर पास ही बैठे परिवादी श्री हीरालाल ने आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूठ रहे है, इन्होनें मेरे पुत्र का नाम मुकदमें से हटाने एवं मेरा नाम नहीं जोड़ने के लिए कल मांग सत्यापन के दौरान 30,000 रूपये अपने व प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के लिए मांगे थे तथा मेरे द्वारा विनती करने पर इन्होनें 25,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए तथा कुछ राशि उसी समय देने का कहने पर मेरे पास उपलब्ध 5000 रूपये इनको दिये थे तथा पेश तय की गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये इन्होनें आज मेरी गाड़ी में आकर बैठकर, मांगकर, प्राप्त कर अपनी पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं जेब में रखे है। जिस पर श्री भविष्य कुमार कानि. को श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस से अपने फोन का स्पीकर आन कर परिवादी श्री हीरालाल से राशि प्राप्त होने की वार्ता करने हेतु कहा मगर कई बार प्रयास करने के बाद भी श्री भविष्य कुमार कानि. ने वार्ता करने से मना कर दिया। जिस पर परिवादी से उनके मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर काल करवाया गया तो आरोपी श्री प्रेमनाथ का मोबाईल फोन स्वीच आफ होकर बंद होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर मन निरीक्षक पुलिस मय दस्तयाब शुदा मुल्जिम को एवं हमरा मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ते के पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में पहुचां जहां पर उपस्थित श्री रावलराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस को श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के बारे मे पूछा तो उन्होनें श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस का थाने में उपस्थित नहीं होना अन्यत्र कही बाहर होना बताया। जिस पर उनसे अग्रीम कार्यवाही की स्वीकृति प्राप्त कर दस्तयाब शुदा आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि को थानाधिकारी के कक्ष में बिठाया इसी दरिम्यान श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी एसयू जोधपुर

पुलिस थाने में उपस्थित आये जिन्होनें थानाधिकारी श्री रविन्द्रपाल सिंह निरीक्षक पुलिस को फोन लगाया मगर फोन रिसीव नहीं हुआ जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित ब्यूरो जाब्ते से थाना परिसर एवं आस-पास संभावित स्थानों पर पतारसी करवाई गई मगर श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस को ब्यूरो कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण अपना फोन का स्वीच आफ कर रूहपोश हो गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्च अफसरान को हालात निवेदन कर एवं आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के रहवासीय मकान की खाना तलाशी लेने हेतु श्री किशन सिंह उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर को जरिये फोन आरोपी के रहवासीय मकान का खाना तलाशी लेने हेतु निर्देशित कर मन निरीक्षक पुलिस को अग्रीम कार्यवाही हेतु आवशवक दिशा निर्देश फरमाये गये एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनः कार्यालय के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी वाहन से ट्रैप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री भविष्य कुमार उर्फ भावेश पुत्र श्री त्रिवेदी कुमार उम्र 36 वर्ष जाति ढोली पेशा नौकरी निवासी देवासियों का बास पाल गांव जिला जोधपुर हाल कानि. नम्बर 135 पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रैप बाक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर एक डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर उक्त साफ पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग, रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के दायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो काँच की अलग-अलग शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर उक्त साफ पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग, रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो काँच की अलग-अलग शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक से लिरवाने पर आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के पहनी हुई कमीज की आगे की बायीं जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से गिनवाने पर कुल राशि 20,000/-रूपये राशि होना पाई गई। गवाह श्री मोहम्मद रफीक इलेक्ट्रीक हैल्पर को पूर्व से मुर्तिबा फर्द पेशकशी सुपुर्द कर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बरामद हुई रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 20,000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. की जामा तलाशी मे ही उनकी पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में एक ग्रे रंग का रेडमी कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। उक्त मोबाईल फोन में डयूल सिम का होकर, उसमें एक की एयरटेल कम्पनी नम्बर की सिम लगी हुई एवं आईएमईआई नम्बर है। उक्त मोबाईल आन करके चैक करने पर श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री भविष्य कुमार कानि. के मध्य प्रकरण से संबंधित कोई चैट नही होकर मात्र काल व वाईस काल होना पाई गई। जिस संबंध मे सीडीआर व कैफ संबंधित कम्पनी से प्राप्त की जावेगी। उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में वांछित नहीं होने के कारण आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. को लौटाया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के पहने हुए कमीज के आगे की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उनके पहनने के लिए एक अन्य कमीज की व्यवस्था कर पहने हुए कमीज को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रैप बाक्स में से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास के साफ पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. की पहने हुए कमीज की आगे की बायीं जेब को उल्टवाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त गहरा गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो अलग-अलग शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। जिसकी आईन्दा पेन ड्राईव तैयार करवाई जायेगी। उक्त कमीज की आगे की बायीं जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कमीज को एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे० की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर

कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के पेडिंग कार्य से संबंधित पत्रावलिया एवं दस्तावेज के बारे में श्री भविष्य कुमार कानि. से पूछा गया तो उन्होनें कहा कि श्री हीरालाल से संबंधित प्रकरण संख्या 89/2025 की पत्रावली श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के पास है जो उनके कार्यालय कक्ष में रखी उनकी टेबल पर रखी होनी चाहिए जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. को साथ लेकर थानाधिकारी कक्ष के पास बने कक्ष में प्रवेश किया तथा आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के बताये अनुसार कोने में रखी टेबल जो श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस की कार्यवाही टेबल होना बताया जिस पर प्रकरण की पत्रावलीयां जिसमें सभी प्रकरणों के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस होना अंकित है में पत्रावलियों का निरीक्षण करने पर एक पत्रावली परिवादी के पेडिंग कार्य से संबंधित प्रकरण संख्या 89/2025 की होना पाई गई। जो रूबरू मौतबिरान पेज संख्या 01 से 477 तक प्रष्ठाकित अंकित करवाकर श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस की टेबल से मन निरीक्षक पुलिस के पास ली गई जो आईन्दा थानाधिकारी उपस्थित आने पर पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर प्रमाणित प्रति जरिये जब्ती कब्जा ब्यूरो ली जायेगी एवं मूल पत्रावली पुनः लौटाई जायेगी। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिशवत राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही मुर्तिब की जाकर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अचलाराम मुख्य आरक्षक हमरा श्री गणेश राम कानि. व श्री कालूराम कानि. को निजी वाहन से आवशयक हिदायत देकर आरोपी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के किराये का रहवासीय मकान नम्बर 07 रजत रेजिडेन्सी गंगाणा रोड़ जोधपुर के लिए वास्तें मुल्जिम श्री प्रेमनाथ की पतारसी के लिए रवाना किया गया। वक्त 1015 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का मुल्जिम पतारसी हेतु रवाना शुदा श्री अचलाराम हैड कानि. हमरा जाब्ता के उपस्थित कार्यवाही स्थल आया तथा मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि हम सभी यहां से रवाना होकर आरोपी श्री प्रेमनाथ के किराये के रहवासीय मकान नम्बर 07 रजत रेजिडेन्सी गंगाणा रोड़ जोधपुर पर पहुचे तो वहां उक्त मकान पर लॉक लगा होना पाया गया। जिस पर आस-पडौसियों से श्री प्रेमनाथ के बारे में पूछा गया तो उन्होनें श्री प्रेमनाथ के इसी मकान में किराये पर अकेला रहने की बात बताई साथ ही दो दिन से मकान पर उपस्थित नहीं आने की बात बताई। वक्त 1030 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस ने श्री भविष्य कुमार पुत्र श्री त्रिवेदी कुमार जाति ढोली उम्र 36 वर्ष पेशा नौकरी निवासी देवासियों की बास पाल गांव जिला जोधपुर हाल कानि. नम्बर 135 पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर को रूबरू गवाहान उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के कहेनुसार उनके सगे छोटे भाई श्री रवि कुमार पुत्र श्री त्रिवेदी कुमार को दी गई। वक्त 10.45 पी.एम. मन निरीक्षक पुलिस बाद कार्यवाही के थाने में रवानी रपट दर्ज करवाकर, रपट रवानगी की प्रति प्रमाणित प्राप्त कर समस्त हमरायान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. 135 मय फर्दात अनुसार जब्त प्रादर्षो एवं रिश्वत राशि, ट्रैप बाक्स, ट्रैप सामग्री तथा कार्यालय के डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के सरकारी एवं निजी वाहन से पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर से रवाना होकर ब्यूरो चौकी एसीबी एसयू जोधपुर पहुचकर फर्दात अनुसार आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के दोनों हाथो का लिया गया धोवन की शील्ड शुदा शीशिया मार्क आर.एच 01 आर.एच 02 व एलएच 01 एलएच 02 आरोपी के पहने हुए कमीज के आगे की बायीं जेब का लिया गया धोवन मार्क पी-01 पी-02, बरमदा रिशवत राशि 20,000 रूपये कपडे़ के टुकडे़ के साथ शील्ड चिट तथा आरोपी के कमीज का कपड़े की थैली में शिल्ड शुदा पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुरक्षित हालात में सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। कार्यालय के डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को मन निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षा की दृश्टि से अलमारी में रखकर लोक किया गया। दिनांक 19.12.2025 वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री हीरालाल व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक व श्री मोहम्मद रफीक इलेक्ट्रीक हैल्पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। तत्पश्चात वक्त 09.40 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान परिवादी श्री हीरालाल के मय परिवादी के निजी वाहन से घटनास्थल का निरीक्षण एवं मुल्जिम पतारसी के लिए पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर के करने के लिए हुए। वक्त 10.20 ए.एम पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के पास घटना स्थल पर पहुचां। जहां पर रूबरू गवाहान परिवादी श्री हीरालाल की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर, फर्द घटनास्थल निरीक्षण एवं हालात मौका मुर्तिब कर मैनें मेरे हस्ताक्षर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद मुल्जिम श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस की संभावित स्थानों पर पतारसी कर बाद पतारसी के कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात वक्त 12.10 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरिक्षत अलमारी में रखे डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को जिसमें दिनांक 18.12.2025 आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. व परिवादी श्री हीरालाल के मध्य हुई वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व टेलीफोनिक वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता रिकार्ड है, को अलमारी से बाहर निकालकर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजूदगी में रूबरू दोनों मौतबिरान श्री जगदीश नारायण व्यास व श्री मोहम्मद रफीक एवं परिवादी श्री हीरालाल की उपस्थिति में श्री देवाराम कानि 373 से कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड़कर रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन, समझ-समझ कर हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन मुर्तिब की जाकर मैने मेरे हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री हीरालाल ने स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. की होने की पहचान परिवादी

श्री हीरालाल द्वारा की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से तीन पेन ड्राईव तैयार किये गये । मूल मैमोरी कार्ड को, मैमोरी कार्ड के कवर मे डालकर, मूल मैमोरी कार्ड को कवर सहित एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली को शिल्ड मोहर किया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मैनें मेरे हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद उक्त शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड को एवं तीनो पेन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुरक्षित सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। ताबाद मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री हीरालाल की उपस्थित में पूर्व में दिनांक 18.12.2025 को परिवादी श्री हीरालाल व आरोपी श्री भावेश कुमार कानि. व आरोपी अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू एवं टेलीफोनिक वार्ता दिनांक 17.12.2025 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की गई थी। मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली में डालकर, थैली को शिल्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर जमा मालखाना करवाया गया। उक्त मूल मैमारी कार्ड की थैली के पैकेट पर एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर आरोपी का नाम परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार श्री भावेश कुमार कानि. अंकित किया गया था। वक्त ट्रैप कार्यवाही आरोपी का नाम रिकार्ड के अनुसार भविष्य कुमार होने के कारण पूर्व में जमा मालखाना करवाया गया मूल मैमोरी कार्ड की शील्ड शुदा कपडे़ की थैली के पैकेट को रूबरू गवाहान मालखाना प्रभारी से पुनः बाहर निकलवाकर आरोपी के नाम भावेश के आगे उर्फ भविष्य कुमार अंकित कर मैनें मेरे लघु हस्ताक्षर किये गये जाकर मूल मैमोरी कार्ड के थैली के पैकेट को पुनः मालखाना करवाया गया एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन पर भी उर्फ भविष्य कुमार अंकित कर मैनें मेरे लघु हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात वक्त 01.20 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम में दर्ज प्रकरण संख्या 89/2025 विरूद्ध श्री भबुतराम वगैरह की मूल अनुसंधान पत्रावली आरोपी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस अनुसंधान अधिकारी की कार्यालय टेबल से वक्त ट्रैप कार्यवाही रूबरू मौतबिरान पेज संख्या 01 से 477 तक पृश्ठांकित कर प्राप्त की गई थी। उक्त मुकदमें की पत्रावली प्रकरण हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने तथा मूल अनुसंधान पत्रावली की वास्ते अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर को आवश्यकता होने पूर्व से पाबंद शुदा श्री रविन्द्र पाल सिंह निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना राजीव गांधी नगर उपस्थित आये जिस पर रूबरू गवाहान उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर, फोटो प्रति को थानाधिकारी से प्रमाणित करवाकर रूबरू गवाहान के वास्ते वजह सबूत जब्त एसीबी किया गया एवं मूल अनुसंधान पत्रावली श्री रविन्द्रपाल सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम को सुपुर्द की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. द्वारा वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 17.12.2025 को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में दर्ज प्रकरण संख्या 89/2025 में से परिवादी श्री हीरालाल के पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश पंवार का नाम हटाने तथा परिवादी श्री हीरालाल का नाम जोड़कर जेल नहीं भेजने की एवज में 30,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना परिवादी द्वारा राशि ज्यादा होने का कहकर राशि कम करने की विनती करने पर 25,000 रूपये लेने के लिए सहमत होना एवं 5000 रूपये उसी वक्त परिवादी से प्राप्त करना तथा राशि प्राप्त करने के बाद अपने मोबाईल फोन नम्बर   से उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर   पर काल कर परिवादी के पुत्र का नाम प्रकरण से हटाने व तय की गई राशि में ही उक्त कार्य करने का कहने पर आरोपी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के पुत्र चन्द्र प्रकाश पंवार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या बोलकर पुत्र का नाम प्रकरण से हटाने हेतु हां कहना तथा उक्त मांग सत्यापन के परिपे्रक्ष्य में आज दिनांक 18.12.2025 को आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. द्वारा परिवादी श्री हीरालाल से उसके उपरोक्त कार्य की एवज में तय की गई 20,000 रूपये अपने स्वयं के लिए तथा श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस के लिए प्राप्त कर अपनी पहनी हुई कमीज की आगे की बायीं जेब में रखी जहां से रूबरू मौतबिरान रिश्वत राशि बरामद की गई एवं आरोपी श्री भविष्य कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई कमीज के आगे की बायीं जेब का विधिवत धोवन लिया जाकर शिल्ड मोहर किया गया। परिवादी श्री हीरालाल के पेडिंग कार्य से संबंधित प्रकरण संख्या 89/2025 का अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस होना तथा उनके नाम अन्य प्रकरणों की पत्रावली उनके कार्यालय टेबल पर रखी के साथ ही उक्त प्रकरण संख्या 89/2025 की प्राप्त होना आदि उपरोक्त दोनों आरोपीगण श्री भविष्य कुमार कानि. नम्बर 135 व श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक पुलिस का आपराधिक कृत्य प्रथम दृश्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 का कारित करना पाया गया। अतः श्री भविष्य कुमार उर्फ भावेश पुत्र श्री त्रिवेदी कुमार जाति ढोली उम्र 36 वर्ष पेशा नौकरी निवासी देवासियों का बास पाल गांव जिला जोधपुर हाल कानि. नम्बर 135 पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम एवं श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री बहादुर नाथ जाति नाथ उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट भू की ढ़ाणी बईया तहसील फतेहगढ़ पुलिस थाना झिनझिनयाली जिला जैसलमेर हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है भवदीय, (मनीष चौधरी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर.............कार्यवाही

पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री भविष्य कुमार उर्फ भावेश पुत्र श्री त्रिवेदी कुमार जाति ढोली उम्र 36 वर्ष पेशा नौकरी निवासी देवासियों का बास पाल गांव जोधुपर हाल कानिस्टेबल नम्बर 135 पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम एवं 2-श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री बहादुर नाथ उम्र 30 वर्ष जाति नाथ पेशा नौकरी निवासी गांव पोस्ट भू की ढाणी बईया तहसील फतेहगढ़ पुलिस थाना झिनझिनयाली जिला जैसलमेर हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना राजीव गांधी नगर आयुक्तालय जोधपुर पश्चिम के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 325 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1905-09 दिनांक 21.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर 3- पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय, जोधपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Paras Soni **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 2?.12/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				
2	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)